

आयुक्त,  
मुरादाबाद गण्डला,  
मुरादाबाद।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय गार्थ्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केंद्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

संख्या / 677 / 27- 59 (2008-09) ज०१०

दिनांक: जुलाई 27, 2012

विषय :- प्रकाश पब्लिक स्कूल, मण्डावर, जनपद विजनौर को सी०पी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय.

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत करना है कि प्रकाश पब्लिक स्कूल, मण्डावर, जनपद विजनौर विद्यालय को सी०पी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्द्धनों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रवेश समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैथियों वर्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०गार्थमिक शिक्षा परिषद्/धैर्यिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मार्थमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेप्ट्री एज्युकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मार्थमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोंतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उहाँ सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मार्थमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा रामय-समय पर जो भी आदेश निर्धारित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०पी०एस०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता में पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संवालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अधिकारियों में उल्लिखित ग्राम मण्डावर, परगना मण्डावर, तहसील विजनौर, जिला विजनौर में स्थित खाता सं० 0009८ गाठा सं० 102८ क्षेत्रफल 0.2910ह००, गाठा सं० 102९ क्षेत्रफल 0.1010ह००, गाठा सं० 103०अ क्षेत्रफल 0.3920ह००, गाठा सं० 103१ क्षेत्रफल 0.3670ह०० एवं खाता सं० 0000१ गाठा सं० 103०ब क्षेत्रफल 0.4300ह००, इस प्रकार कुल 05 किलो क्षेत्रफल 1.5810ह०० में से 9287.26 वर्गमीटर भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। उक्त वर्जित गार्टों के संबंध में धारा-143 च०प्र० ०१० एवं धू०प्र० ०५० अधिनियम की कार्यवाही सम्बन्ध में विवाद द्वारा उत्पन्न होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्द्धनों का पालन करना संभव नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक्ति या शिथिलता वरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

( जी०पी०एन० सिंह )  
आयुक्त।

संस्था एवं दिनांक : उक्त।

प्रतीतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गार्थमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (गा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी विजनौर।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- प्रबंधक, प्रकाश पब्लिक स्कूल, मण्डावर, जनपद विजनौर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रस्तर-10 के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराकर वांछित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

( शोभीलाला सिंह )